भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5416
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के तहत दार्जिलिंग-कलिम्पोंग को धनराशि

5416. श्री राजू विष्ट:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में अवसंरचना विकास और मूल्य संवर्धन हेतु पहलों सहित प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक राज्यों को कुल कितना वित्तीय परिव्यय और सहायता प्रदान की गई है;

(ग) योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों को प्रारंभ से अब तक प्रदान की गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जनवरी, 2025 तक देश भर में किसानों की आय में सुधार और कृषि बर्बादी को कम करने पर इस योजना का क्या प्रभाव होगा; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी योजना)
ii. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना)
iii. ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना)
iv. एकीकृत शीत श्रृखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसी एवं वीएआई योजना)
v. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना
vi. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी योजना) मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान एवं विकास
vii. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना) – 01.04.2021 से बंद कर दी गई
viii. मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना) – 01.04.2021 से बंद कर दी गई

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्वरूप में मांग आधारित है और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत राज्यवार निधि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता के लिए जांच की जाती है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार

निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधियों की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता आधारित मंजूरी दी जाती है। पीएमकेएसवाई के तहत शुरू से अब तक स्वीकृत राज्यवार वित्तीय सहायता **अनुबंध-1** में दी गई है । दार्जिलिंग जिले में अनुमत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है । आज की तिथि तक कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण के साथ कृषि उत्पादों, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, की मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेंगे और फार्म गेट से लाभ बढ़ेगा। जनवरी 2025 तक पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत कुल 1611 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1097 चालू हैं, जिससे 3331736 किसान लाभान्वित हुए ।

फसल-उपरान्त अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण से फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहन शामिल हैं।

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत शीत श्रृखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव" पर किए गए और मंत्रालय को सौंपे गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत श्रृखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के हस्तक्षेप के कारण, जबकि सभी क्षेत्रों में बर्बादी में कुछ कमी देखी गई, लेकिन फलों और सब्जियों, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में बर्बादी में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

(ङ): पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत, मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश से समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के माध्यम से प्रसारित करके और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है। छोटे किसानों के साथ-साथ एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियां आदि जैसी संस्था/संगठन सहित निजी क्षेत्र के प्रतिभागी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संवर्धनात्मक गतिविधियों की योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2024 के दौरान देश भर में सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे 60 कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

*****

अनुबंध 1

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत दार्जिलिंग-कलिम्पोंग को धनराशि" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5416 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

28.02.2025 तक पीएमकेएसवाई के तहत प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता			
क्र.सं.	**राज्य**	**स्वीकृत जीआईए (करोड़ रुपए में)**	**जारी जी.आई.ए. (करोड़ रु. में)**
1	अंडमान और निकोबार	3.17	3.04
2	आंध्र प्रदेश	763.99	452.55
3	अरुणाचल प्रदेश	82.51	25.99
4	असम	445.34	251.54
5	बिहार	170.60	96.87
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	79.47	61.42
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3.64	3.47
9	दिल्ली	10.90	10.49
10	गोवा	7.71	7.56
11	गुजरात	658.52	528.90
12	हरियाणा	411.16	283.04
13	हिमाचल प्रदेश	308.47	245.66
14	जम्मू और कश्मीर	194.32	148.26
15	झारखंड	0.94	0.77
16	कर्नाटक	399.69	290.87
17	केरल	303.87	210.23
18	लद्दाख	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	355.66	255.92
21	महाराष्ट्र	1312.19	903.79
22	मणिपुर	59.19	22.90
23	मेघालय	71.92	12.57
24	मिजोरम	66.32	59.17
25	नागालैंड	78.90	51.18
26	उड़ीसा	206.85	146.43
27	पुडुचेरी	0.81	0.70
28	पंजाब	427.07	355.82
29	राजस्थान	325.37	183.15
30	सिक्किम	3.64	3.64
31	तमिलनाडु	497.69	313.30
32	तेलंगाना	404.44	228.20
33	त्रिपुरा	64.63	60.90
34	उत्तर प्रदेश	476.24	351.36
35	उत्तराखंड	476.05	438.95
36	पश्चिम बंगाल	249.90	190.11
	कुल	**8921.17**	**6198.76**

अनुबंध -2

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत दार्जिलिंग-कलिम्पोंग को धनराशि" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5416 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के तहत दार्जिलिंग जिले में परियोजनाओं का विवरण										
क्रमांक	**योजना का नाम**	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदन का दिनांक**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**	**स्थिति**	**रोज़गार**	**किसान लाभान्वित**
1	**खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)**	पश्चिम बंगाल	मेसर्स महानंदा फूड प्राइवेट लिमिटेड	07.12.2018	22.94	4.94	4.77	प्रचालित	575	51
2	**खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)**	पश्चिम बंगाल	मेसर्स आरसन लोज़ेंजेस फैक्ट्री	29.05.2019	4.75	1.31	1.23	प्रचालित	150	51